कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद
(मानचित्र स्वीकृत पत्र)

मानचित्र संख्या.....01/mp/07. 1524/imp/GM/2006 दिनांक.....31.7.07

श्रीमति/श्री, मैसर्स .....प्रेरणा डेवलपर्स प्रा० लि०

1660 प्रतापविहार, गा०बा०

प्लाट क्षेत्रफल 5700 वर्ग मी०

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 16-10-2006 के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित ग्रुपहाउसिंग भवन की मौहल्ला/कालोनी/ग्राम 1085, 1089, 1091 पर निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, (जी.डी.ए.) किसी अन्य व्यकित का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी अपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटिरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गन्दें पानी की निकासी का पुर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानत्रितों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्ही की होगी।
10. यह मानचित्र उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते है तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा बैंक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेशिफिकेशन की नियम/शर्तो का पालन करना होगा।
13. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 22-9-06 का पालन करना होगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ०प्र० राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 5 पेड़ लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण-पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रुफटोप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
17. 12.00 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
18. अस्पताल, नर्सिंगहोम, होटल, अतिथि ग्रह, विश्राम ग्रह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय, प्राविधिक संस्थाएं, प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, बेंक्वेट हॉल, बारात घर व 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संचत्र की स्थापना करनी होगी।

विद्युत नियमों के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़कर ही निर्माण कार्य किया जायेगा

समस्त प्रकार के भवन/स्ट्रक्चर की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्तरो पर समस्त दीवारों के ऊपर आर०सी०सी० टाई बीम डालना उचित/आवश्यक है। जो डी०पी०सी० लेवल सिस्टम व प्रत्येक छत के नीचे डाले जायें।

संलग्नक :

1. दो सैट स्वीकृत मानचित्र

30/7/07

सी०ए०टी०पी०
गाजियाबाद

पत्रांक /एमपी/ दिनांक

प्रतिलिपि :
1. अधि० अधि० नगर निगम गाजियाबाद को स्वीकृत मानचित्र सहित ।
2. अवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को सूचनार्थ।

सी०ए०टी०पी०
गाजियाबाद